


iepf



विनिधानकर्ता शिक्षा एवं
संरक्षण निधि

अपनी राशि का **दावा** आज ही करें।



निवेशक/जमाकर्ता जिनके शेयर, अप्रदत्त लाभांश, परिपक्व जमाराशि या डिबेंचर आदि कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के अधीन विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किए गए हैं, अपनी राशि का दावा कर सकते हैं।

निवेशक: दावा कैसे करें?



फॉर्म आईईपीएफ-5 डाउनलोड करें

हमारी वेबसाइट www.iepf.gov.in से आईईपीएफ-5 फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म भरने से पहले निर्देश किट ध्यानपूर्वक पढ़ें।

भरा हुआ ई-फॉर्म अपलोड करें

वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर भरा गया ई-फॉर्म अपलोड करें। अपलोड किए गए ई-फॉर्म की एक प्रतिलिपि और एसआरएन के साथ सृजित पावती सेव करें।



कंपनी को प्रस्तुत करें

ई-फॉर्म की स्वतः - साक्ष्यांकित प्रतिलिपि, पावती की प्रतिलिपि, मूल सुरक्षा बांड के साथ-साथ फार्म में यथाउल्लिखित अन्य दस्तावेज कंपनी के नोडल अधिकारी (आईईपीएफ) को एक लिफाफे में प्रस्तुत करें जिस पर "आईईपीएफ प्राधिकरण से राशि प्राप्त करने का दावा" लिखा हो।



दावे का सत्यापन

कंपनी का नोडल अधिकारी दावे का सत्यापन करेगा और सत्यापन रिपोर्ट आईईपीएफ प्राधिकरण को 15 दिन के अंदर भेजेगा।



दावे की वापसी

सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा धनराशि अथवा शेयर दावेदार के बैंक खाते या डिमैट खाते में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से भेज दिए जाएंगे।

कंपनियां: कार्रवाई कैसे करें?



आईईपीएफ के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

प्रत्येक ऐसी कंपनी जिसने आईईपीएफ में कोई राशि या शेयर प्रेषित किए हैं, विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी), नियम, 2016 के नियम 7(2) के अनुसरण में दावों के भुगतान के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करेगी।

प्राधिकरण को सूचित करना

नोडल अधिकारियों के विवरण iepf@mca.gov.in पर ई-मेल द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण को सूचित किए जाएंगे।



दावा दस्तावेज प्रस्तुत करना

कंपनियों द्वारा निवेशकों के दावों पर कार्यवाही और उनका सत्यापन आईईपीएफ प्राधिकरण को भेजने से पूर्व दावा दस्तावेजों की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर किया जाएगा।



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण
निधि प्राधिकरण



iepf@mca.gov.in

अधिक जानकारी के लिए www.iepf.gov.in पर लॉग ऑन करें